<u>भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण</u>

<u>(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)</u>

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भाराराप्रा), केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान केन्द्रों /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों /अर्ध सरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायो के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर केंद्रीय महंगाई भत्ते के साथ वेतन बैंड (पीबी)-2- 9300-34800 रु 4200/- श्रेणी वेतन सहित (संशोधन पूर्व) कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है :

क्रमसं.	पद का नाम	पदों की संख्या	भर्ती का तरीका
1.	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	02	प्रतिनियुक्ति

<u>पात्रता की शर्तों का विवरण</u>

क्रमसं.	पद का नाम	भर्ती मानदंड	भर्ती का तरीका
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	**कनिष्ठ हिंदी अनुवादक**	**अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :** (1)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी या हिंदी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी या अंग्रेजी और अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी या हिंदी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी और अंग्रेजी या इन दोनों में से कोई एक विषय परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में	केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों /अर्ध सरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठनों तथा अन्य सरकारी संस्थानों के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के द्वारा : (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड -2- (9300-34800 रु) के वेतनमान 4200/ श्रेणी वेतन (केंद्रीय महंगाई भत्ता पद्धति) में या इसी वेतनमान में औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों या (ii) जो अपने मूल संवर्ग /विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड-1(5200-20,200 रुपए) और 2800/- रुपए के श्रेणी वेतन (केंद्रीय महंगाई भत्ता पद्धति में)अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों या (iii) जो अपने मूल संवर्ग /विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड-1(5200-20,200 रुपए) और 2400/- रुपए के श्रेणी वेतन (केंद्रीय महंगाई भत्ता पद्धति में)अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर आठ वर्ष की सेवा कर चुके हों और जिनके पास कॉलम 3 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव हो । <u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>

		स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य; और (ii) हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाण पत्र या केंद्रीय सरकार /राज्य सरकार के कार्यालयों में, जिनके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी शामिल हैं में हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव । **वांछनीय शैक्षिक योग्यता:** (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समतुल्य स्तर पर हिंदी से भिन्न संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित किसी एक भाषा का ज्ञान । (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद में उपाधि या डिप्लोमा ।	इस नियुक्ति से ठीक पहले इसी या अन्य किसी बाह्य संवर्ग संगठन /विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । प्रतिनियुक्ति की अवधि को 5 वर्ष के पश्चात 08 वर्ष तक की अवधि के लिए संतोषजनक निष्पादन की शर्त पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से बढ़ाया जा सकता है । बशर्ते भाराराप्रा में प्रतिनियुक्ति पर सीईएस (सड़क) के अधिकारियों के संबंध में समय समय पर यथासंशोधित दिनांक 17.06.2010 के डीओपीटी ओएम सं. 6/8/2009-स्था.(वेतनII) के अनुसार कार्यकाल विनियमित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण शर्तें

1. आवेदन को अग्रेषित करते समय संबंधित विभाग/संगठन:

(क) पिछले पांच वर्षों की सत्यापित वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की प्रतियों के साथ अनुशासन/सतर्कता मंजूरी प्रमाणित करते हुए कि अधिकारी के खिलाफ पिछले 10 वर्षों में कोई जुर्माना/दंड नहीं लगाया गया है, इस आशय के प्रमाण पत्र सहित सत्यनिष्ठता प्रमाण पत्र संलग्न करें ।

.

(ख) सेवा रिकार्ड से सत्यापित कर यह प्रमाणित करें कि उम्मीदवार द्वारा उनके आवेदन में दिए गए विवरण, शैक्षणिक अर्हता विवरण, योग्य अनुभव और वेतन विवरण, इत्यादि सही और पद के लिए पूर्ण हैं ।

(ग) संगठन की पदानुक्रम संरचना में उम्मीदवार का संबंधित ग्रेड और वेतनमान के साथ स्तर/स्थिति को सत्यापित करें ।

2. आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा में न भरे जाने पर या किसी भी तरह से अपूर्ण रहने, विशेष रूप से वेतनमान सहित विवरण न भरे जाने, पर पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया जाएगा । उम्मीदवारो को सुझाव दिया जाता है कि वे उपर्युक्त पात्रता मानदंड और अनुभव के अनुसार आवेदन प्रारूप को ध्यान से भरें । यह नोट किया जाए कि बाद में सेवा प्रोफाइल/अनुभव इत्यादि से संबंधित किसी भी स्पष्टीकरण पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा ।

3. अनुसूचित जाति /जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय /महिला उम्मीदवारों का विशेष स्वागत है और उन्हें अधिक संख्या में आवेदन करना चाहिए । अन्य चीजें समान होने पर विकलांग व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी भले ही रिक्त स्थान उनके लिए आरक्षित न हो ।

4. आवेदन में जहां भी संशोधन पूर्व वेतनमान (नों) का उल्लेख किया गया है वहां पर संशोधित वेतनमान का भी उल्लेख किया जाना चाहिए । इसी प्रकार जहां कहीं भी संशोधित वेतनमान (नों) का उल्लेख किया गया है वहां पूर्व में संशोधित वेतनमान (नों) भी उल्लेख किया जाना चाहिए ।

5. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्यरत उम्मीदवार आईडीए वेतनमान का उल्लेख करें । भाराराप्रा द्वारा अपनाई गई सीडीए से आईडीए वेतनमान समकक्षता संलग्न है ।

6. यदि बहुत अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो चयन हेतु केवल उन उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा जिनका लघुसूचीयन संबंधित क्षेत्र में योग्यता, अनुभव, कार्यकाल और सेवा के स्तर के आधार पर किया गया है ।

7. ये अखिल भारतीय सेवा दायित्व पद हैं अत: केवल वे उम्मीदवार आवेदन करें जो भारत में कहीं भी सेवा करने के इच्छुक हैं ।

8. रिक्ति परिपत्र में दिए पद के संदर्भ में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को बाद में उम्मीदवारी वापिस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी । एक बार यदि उम्मीदवार भाराराप्रा द्वारा चयनित होने के लिए आवेदन करता है, उसे नियुक्ति को अस्वीकार नहीं करना चाहिए । यदि वह नियुक्ति को अस्वीकार करता है तो नियुक्ति प्रस्ताव को रद्द करने की तारीख से दो साल की अवधि तक भाराराप्रा द्वारा उसकी उम्मीदवारी किसी भी नियुक्ति हेतु स्वीकार नहीं की जाएगी ।

9. प्रतिनियुक्ति के आधार पर चयन के मामले में उम्मीदवार जिनकी आयु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि पर 56 वर्ष से अधिक है उनको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है । जो उम्मीदवार आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के दो वर्ष के भीतर मूल कैडर में सेवानिवृत्त होने वाले हैं उन्हें भी आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है ।

10. प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें कि इस नियुक्ति से ठीक पहले अन्य संगठन में या कैडर के किसी पद हेतु प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित आमतौर पर 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

11. पात्रता के निर्धारिण हेतु महत्वपूर्ण तिथि आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि होगी ।

12. किसी भी प्रकार से प्रभाव डालना या डलवाना उम्मीदवारी को रद्द कर देगा ।

13. इस विज्ञापन को सक्षम प्राधिकारी के विवेक से किसी भी समय कारण बताए बिना वापिस लिया जा सकता है ।

14. उपरोक्त पैरा में बताए अनुसार आवश्यक जानकारी दस्तावेज सहित विधिवत रूप से भरे आवेदन को पंजीकृत/स्पीड डाक द्वारा उचित माध्यम से, जहां कहीं लागू हो, निम्नलिखित पते पर 25.01.2021 तक भेजा जा सकता है ।

एच के भट्ट
उप महाप्रबंधक (मा.सं./प्रशा.)-I
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
प्लाट जी-5 और 6, सेक्टर -10
द्वारका, नई दिल्ली-110075
Email: recruitment@nhai.org

16 हालांकि यदि उम्मीदवार को लगता है कि मूल विभाग से उसके आवेदन को अग्रेषित करने में देरी हो सकती है तो निर्धारित अंतिम तिथि से पहले आवेदन की एक अग्रिम प्रति भेजी जानी चाहिए । आवश्यक जानकारी /दस्तावेजों के साथ मूल विभाग से उचित माध्यम द्वारा भेजे गए आवेदन शीघ्रातिशीघ्र भाराराप्रा तक 25.01.2021 तक पहुंच जाने चाहिए । यह नोट किया जाए कि ई-मेल या फैक्स के माध्यम से प्राप्त आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा । यह नोटिस भाराराप्रा की वेबसाइट www.nhai.gov.in पर भी उपलब्ध है । आवेदन भेजने वाले लिफाफे पर बड़े अक्षरों में आवेदन किए गए पद का नाम लिखा होना चाहिए ।

17 इस विज्ञापन का शुद्धिपत्र, परिशिष्ट, निरस्तीकरण यदि कोई हो तो उसे केवल भाराराप्रा की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा और किसी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा । अत: उम्मीदवारों से वेबसाइट को नियमित रूप से देखने की सलाह दी जाती है ।